न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 164/2019

अनवान :

सराजू खां पुत्र अब्दूल खां जाति लखारा निवासी कलाना हाल निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

– प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री किसनलाल यादव : वादी
पैरवी कर्ता प्रतिवादी : पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता सं0 120/108 के खसरा नं0 59 की 5.275 है0, खसरासं0 360 की 0.316 है0, खसरा नं0 364 की 7.109 है0 कुल 12.700 है0 बारानी, खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें अन्य खातेदारों के अलावा दुल्हा व फुला का 1/6–1/6 हिस्सा है। वादी के चाचा फुल मोहम्मद उर्फ फुला पुत्र सुभान खां जाति लखारा निवासी कलाना तहसील भादरा ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पति की बाबत एक वसीयतनामा खुल्ला दिनांक 25.05.1999 को बरूबरू गवाहान अपनी स्वतंत्र इच्छा, रजामंदी एवं प्रेम–स्नेह के कारण वादी के पक्ष में लिखवाकर के तथा उसे उप पंजीयक भादरा से सत्यापित करवा दिया था। वादी के चाचा फुल मोहम्मद उर्फ फुला के कोई पुत्र–पुत्री नहीं थी तथा उनकी घर वाली का भी स्वर्गवास हो चुका था। वादी ही फूल मोहम्मद उर्फ फुला की सेवा चाकरी करता था। रोटी कपड़ा की खिदमत करता था। इससे खुश होकर के फूल मोहम्मद ने अपनी तमाम चल व अचल सम्पति का मुनासिब इंतजाम अपनी जिंदगी में ही कर दिया था। ताकि उनके मरने के बाद में सम्पति की बाबत कोई विवाद नहीं हो। फूल मोहम्मद ने अपनी तमाम चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी जो फूल मोहम्मद का सगा भतीजा था, के नाम कर दी जिसमें जीवित रहूं तब तक सम्पति का मालिक स्वयं फूल मोहम्मद होना तथा मरने के बाद में तमाम चल व अचल सम्पति जिका मालिक फूल मोहम्मद था उसका एक मात्र मालिक वादी होना वसीयतनामा में दर्ज करवा दिया था तथा उक्त वसीयत प्रथम एवं अंतिम वसीयत थी। फूल मोहम्मद ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पति अपनी मृत्यु के बाद वादी के पक्ष में वसीयत की हुई थी। वादी के चाचा वादी के साथ ही रहता था। वादी ने उसकी सेवा चाकरी की है। इसी से खुश होकर के वादी के चाचा फूल मोहम्मद ने उक्त वादी के पक्ष में उक्त वसीयतनामा खुल्ला तहरीर करवाया था।

वादी के चाचा फुल मोहम्मद का दिनांक 20.03.2004 को वादी के पास रहते हुए ग्राम नेठराना में देहान्त हो चुका है। फूल मोहम्मद की मृत्यु के तुरन्त बाद उक्त वसीयतनामा लागू हो चुका है तथा वादी उक्त वसीयतनामा के मुताबिक फूल मोहम्मद की समस्त चल व अचल सम्पति का मालिक बन चुका है, इसलिए वाद भूमि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

जो फूल मोहम्मद उर्फ फुला के नाम से गांव कलाना की उपर वर्णित वाद भूमि का खातेदार काश्तकार बन चुका है।

वादी के चाचा की मृत्यु दिनांक 20.03.2004 को होने के बाद में वादी ने मुताबिक वसीयतनामा वाद भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व भादरा को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उन्होने वसीयतनामा के अनुसा नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया तथा दरख्वास्त वापस लौटा दी। कानूनन वाद भूमि का वादी मुताबिक वसीयतनामा खातेदार काश्तकार बन चुका है। चूंकि उक्त वसीयत वादी के चाचा की प्रथम एवं अंतिम वसीयत थी। वसीयतनामा के मुताबिक नामान्तरण दर्ज नहीं होने से वादी को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद में दर्ज फुला पुत्र सुभान की 1/6 हिस्सा भूमि का वादी फुला की मृत्यु होने पर मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 25.05.1999 के खातेदार काश्तकार है ?

— वादी

2. आया कि वादी फुला के स्थान पर वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है ?

— वादी

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सराजू खां, पीडब्ल्यु 2 सोहनलाल, पीडब्ल्यु 3 रामजीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम कलाना खाता सं0 120/108 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, प्रार्थना पत्र प्रदर्श 2, शपथ पत्र प्रदर्श 3, चित्रप्रति वसीयतनामा खुल्ला प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5ए, चित्रप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7ए, शपथ पत्र सदीक पुत्र दुला प्रदर्श 8, शपथ पत्र मोहम्मद यासीन पुत्र दुला प्रदर्श 9, शपथ पत्र रजिया पुत्री दुला पत्नि रसुल खां प्रदर्श 10, शपथ पत्र बरकत पुत्री दुला पत्नि ईस्माईल प्रदर्श 11, शपथ पत्र सलामत पुत्री दुला पत्नि जमाल प्रदर्श 12, शपथ पत्र रहमत पुत्री दुला पत्नि मकबूल खां प्रदर्श 13, पारिवारिक समझौतानामा प्रदर्श 14 प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी पेरोकार राज में जबाब को ही साक्ष्य पढ़ा जाने का निवेदन किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने न्यायिक उद्धरण आरआरडी 2008 पेज नं0 567 से 573 पेश किये तथा अपनी बहस में वाद वादी मुताबिक वसीयतनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम कलाना के राजस्व रिकार्ड में फूला पुत्र सुभान के नाम दर्ज कृषि भूमि को मुताबिक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वसीयतनामा दिनांक 25.05.1999 के अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है।

हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई है। उक्त दोनों तनकीयात एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए दोनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जाना उचित होगा। दावा के समर्थन में प्रस्तुत प्रदर्श 8 से 13 प्रत्येक में शपथ ग्रहिताओं ने व प्रदर्श 14 पारिवारिक समझौता में स्पष्ट किया है कि हमारा पुराना गांव कलाना था वहां पर हमारी कृषि भूमि है जो संयुक्त खाता की है। हमारे एक चाचा फुला पुत्र सुभान था जिनकी शादी नहीं हुई थी तथा वह अविवाहित ही फौत हो गया था। हमारे चाचा की सेवा चाकरी व वृद्धावस्था में देखभाल हमारा भाई सराजू ही करता था जिससे खुश होकर हमारे चाचा ने गवाहान रामजीलाल मान व सोहनलाल बैनीवाल की उपस्थिति में दिनांक 25.05.1999 को एक वसीयत उप पंजीयक भादरा से पंजीबद्ध करवा दी थी। उक्त वसीयत के अनुसार फुला की समस्त चल व अचल सम्पति एवं ग्राम कलाना में स्थित फुला का 1/6 हिस्सा कृषि भूमि फुला की मृत्यु के बाद सराजू को प्राप्त हो चुका है तथा सराजू मुताबिक वसीयतनामा उक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जिसकी पुष्टि में वादी ने चित्रप्रति वसीयतनामा खुल्ला प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5ए, चित्रप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7ए प्रदर्शित करवाये तथा वसीयत के गवाह सोहनलाल व रामजीलाल ने अपने मुख्य परीक्षा में अंकित कराया है कि उक्त वसीयतनामा उनके सामने ही किया गया था। इस प्रकार दिनांक 25.05.1999 को उप पंजीयक भादरा द्वारा पंजीबद्ध करवाये वसीयतनामा की पुष्टि होती है तथा प्रदर्श 5ए फुला के मृत्यु प्रमाण पत्र से फुला की मृत्यु होना तथा फुला द्वारा सराजू के पक्ष में करवाई गई वसीयत के प्रभावी होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त दोनों तनकीयात वादी के पक्ष में तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई थी जो वादी के पक्ष में तय की चुकी है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक वसीयत दिनांक 25.05.1999 के डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता सं0 120/108 के खसरा नं0 59 की 5.275 है0, खसरा सं0 360 की 0.316 है0, खसरा नं0 364 की 7.109 है0 कुल 12.700 है0 बारानी, खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें अन्य खातेदारों के अलावा दुल्हा व फुला का 1/6–1/6 हिस्सा है में फुला का नाम कलमजन किया जाकर वादी सराजू खां 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त फुला का नाम कलमजन किया जाकर वादी सराजू खां के नाम 1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारेठ)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा(हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 164/2019

अनवान :

सराजू खां पुत्र अब्दूल खां जाति लखारा निवासी कलाना हाल निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किसनलाल यादव एवं पैरवी कर्ता प्रतिवादी पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक वसीयत दिनांक 25.05.1999 के डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता सं0 120/108 के खसरा नं0 59 की 5.275 है0, खसरा सं0 360 की 0.316 है0, खसरा नं0 364 की 7.109 है0 कुल 12.700 है0 बारानी, खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें अन्य खातेदारों के अलावा दुल्हा व फुला का 1/6–1/6 हिस्सा है में फुला का नाम कलमजन किया जाकर वादी सराजू खां 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त फुला का नाम कलमजन किया जाकर वादी सराजू खां के नाम 1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य. मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:28:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: